

वादीगण-

1. विक्रम सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह
जाति- राजपूत निवासी- रोहिणा, तहसील-जायल।

प्रतिवादीगण -

बनाम

1. मदनकंवर पत्नी स्व.नरेन्द्रसिंह
2. राज कंवर पत्नी स्व. अजीतसिंह
3. हर्षवीरसिंह पुत्र स्व.अजीत सिंह पौत्र स्व. नरेन्द्रसिंह
4. यशस्वी पुत्री स्व.अजीतसिंह पौत्री स्व.नरेन्द्रसिंह
प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ना.बा जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 2 राजकंवर पत्नी स्व.अजीत सिंह, जातियान राजपूत निवासीगण रोहिणा, तहसील-जायल।
5. सुमन कंवर पुत्री स्व.नरेन्द्रसिंह पत्नी नरपतसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी रोहिणा हाल निवासी 62 चित्रकुट कोलोनी झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान।
6. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू जरिये शाखा प्रबंधक।
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल



उपस्थिति :-

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू परफॉर्मा पक्षकार।
4. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 28/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रोहिणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 233 रकबा 1.0603 हैक्टेयर, खसरा नंबर 507 रकबा 5.4228 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 573 रकबा 3.0432 हैक्टेयर व खसरा नंबर 668 रकबा 5.2528 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 3 के (अ से स) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी विक्रम सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 668 रकबा 5.2528 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मदन कंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा

1

28/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल


का खेत खसरा नंबर 233 रकबा 1.0603 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 573 रकबा 3.0432 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 507 रकबा 5.4228 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 29.11.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वयं उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत रोहिणा में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजपेरोकार प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से अदम तामिल होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है, कैम्प कोर्ट में उपस्थित राजहित सुरक्षित रखते हुवे अनापति जाहिर की। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह विक्रम सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम रोहिणा तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 404 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल


प्रतिवादी संख्या 6 व 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काशतकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काशत होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा रोहिणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 668 सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादी विकमसिंह तथा खसरा नंबर 507 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त हक बंट में तथा खेत खसरा नंबर 233 व 573 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 मदनकंवर के नाम यथावत् राजीनामा अनुसार चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा रोहिणा के खेत खसरा नंबर 668, 507, 233, 573 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 मदनकंवर के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक वाद पत्र राजीनामा सहमति अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिणा के खेत खसरा नंबर 668, 507, 233, 573 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 मदनकंवर के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक वाद पत्र राजीनामा सहमति अनुसार वाद को निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी विकम सिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 668 रकबा 5.2528 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मदन कंवर के हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 233 रकबा 1.0603 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 573 रकबा 3.0432 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 507 रकबा 5.4228 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट कब्जा काशत में मुतदाविया खेतार्यों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही तहसीलदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

5. बैंक.....के रहन खसरान् के संबंध में बैंक को सूचित हो तथा बैंक के रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेंगे यदि रहन मुक्त नहीं हुवे हैं तो।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



28/12/2021
(रवीन्द्र कलक्टर) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 269/2021

वादीगण-

1. विक्रम सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह
जाति- राजपूत निवासी- रोहिणा, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. मदनकंवर पत्नी स्व.नरेन्द्रसिंह
2. राज कंवर पत्नी स्व. अजीतसिंह
3. हर्षवीरसिंह पुत्र स्व.अजीत सिंह पौत्र स्व. नरेन्द्रसिंह
4. यशस्वी पुत्री स्व.अजीतसिंह पौत्री स्व.नरेन्द्रसिंह
प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ना.बा जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 2 राजकंवर पत्नी स्व.अजीत सिंह, जातियान राजपूत निवासीगण रोहिणा, तहसील-जायल।
5. सुमन कंवर पुत्री स्व.नरेन्द्रसिंह पत्नी नरपतसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी रोहिणा हाल निवासी 62 चित्रकुट कोलोनी झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान।
6. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू जरिये शाखा प्रबंधक।
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल



उपस्थिति :-

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू परफॉर्मा पक्षकार।
4. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिणा के खेत खसरा नंबर 668, 507, 233, 573 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 मदनकंवर के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक वाद पत्र राजीनामा सहमति अनुसार वाद को निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

28/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1. वादी विक्रम सिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 668 रकबा 5.2528 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मदन कंवर के हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 233 रकबा 1.0603 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 573 रकबा 3.0432 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काशत में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 507 रकबा 5.4228 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट कब्जा काशत में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही तहसीलदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
5. बैंक.....के रहन खसरान् के संबंध में बैंक को सूचित हो तथा बैंक के रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेंगे यदि रहन मुक्त नहीं हुवे हैं तो।
निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवम् इन्चार्ज अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवम् इन्चार्ज अधिकारी
जायल (नागौर)